

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,  
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

निविदा संख्या: ८९ /उ०रा०वि०से०प्रा०/२०१३ दिनांक: ०५ मई, २०१३

साईन बोर्ड व होर्डिंग बनवाये जाने वाले निविदा सूचना

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल हेतु साईन बोर्ड व होर्डिंग बनवाये जाने हेतु प्रतिष्ठित/ख्याति प्राप्त फर्मों से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत Bid के आधार पर दिनांक: २९.०५.२०१३ अपराह्न २.०० PM बजे तक मुहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। उक्त निविदायें दिनांक: २९.०५.२०१३ अपराह्न ४.३० PM बजे उपस्थित निविदा दाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समुख राज्य प्राधिकरण के कार्यालय में खोली जायेंगी।

निविदा सम्बन्धी समस्त नियम व शर्तों का भली-भौति अवलोकन राज्य प्राधिकरण की वेबसाइट <http://www.slsa.uk.gov.in> पर कर लिया जाये।

*Anurag*  
05.05.13

सदस्य सचिव,  
उ०रा०वि०से०प्रा०,  
नैनीताल

## निविदा फार्म

1. दूरभाष नं०
2. निविदादाता का नाम/पता
3. फर्म की पंजीकरण संख्या
4. धरोहर धनराशि रु0.....डी०डी० संख्या.....दिनांक.....बैंक का नाम.....
5. निविदा फार्म (डाउनलोड की स्थिति में भी) रु0.....डी०डी० संख्या.....दिनांक.....बैंक का नाम.....
6. निविदा फार्म स्वीकार करने की अंतिम तिथि और समय 29.05.2013 / 2.00 PM बजे
7. निविदा खोलने की तिथि और समय 29.05.2013 / 4.30 PM बजे
8. कार्य का नाम: साईन बोर्ड व होर्डिंगों को बनवाये व लगवाए जाने हेतु
9. स्थान: उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
10. कार्य का समापन: 45—90 दिन के अन्दर (आदेश देने की तिथि से)
11. निविदा फार्म की कीमत रु0 500/- (रु0 पॉच सौ मात्र) है, जोकि राज्य प्राधिकरण के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किया जा सकता है। यदि फार्म राज्य प्राधिकरण की वेब-साइट से प्राप्त किया जाता है तो निविदा फार्म की कीमत डिमाण्ड ड्राफ्ट, पेय आर्डर या जमा पर्ची द्वारा अदा की जायेगी, जोकि भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की होनी चाहिए।
12. निविदादाता को प्रस्तुत निविदा के साथ रु0 20,000/- (रु0 बीस हजार मात्र) की धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर./एन.एस.सी./बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के पक्ष में बन्धक हो, लगाया जाना अनिवार्य होगा।

### घोषणा पत्र

मैंने/हमने साईन बोर्ड व होर्डिंगों संबंधी सभी आवश्यक विशिष्टियां सावधानी पूर्वक पढ़/समझ ली हैं तथा मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये दरों के अनुसार बोर्ड व होर्डिंगों का संयोजन व संरक्षण आवश्यक विशिष्टियां के अनुसार करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मुहर

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के लिए साईंन बोर्ड व होर्डिंग बनवाये व लगवाए  
जाने हेतु विशिष्टियाँ

(Specifications), निविदा सम्बन्धी समस्त नियम व शर्तें।

### विशिष्टियाँ (Specifications)

1. साईंन बोर्ड व होर्डिंग 03 प्रकार के होंगे :-
  - (क) साईंज - 04 फुट लम्बाई व 10 फुट चौड़ाई
  - (ख) साईंज - 02 फुट लम्बाई व 05 फुट चौड़ाई
  - (ग) साईंज - 1.5 फुट लम्बाई व 02 फुट चौड़ाई
2. साईंन बोर्ड व होर्डिंग का लेख बहु रंगी (Multi-Coloured) फ्लैक्स प्रिन्ट पर एवम् बोर्डर आयरन पाईप के साथ तथा स्टैड एंगल आयरन के होंगे।
3. फ्लैक्स पर छपाई, लेख या चित्र या दोनों की हो सकती है।

### नियम व शर्तें

1. इच्छुक निविदादाता को अपनी दरें प्रति साईंन बोर्ड एवम् होर्डिंग देना अनिवार्य है।
2. सफल निविदादाता को साईंन बोर्ड एवम् होर्डिंग का संयोजन प्राधिकरण द्वारा चिह्नित स्थानों एवं निर्धारित दूरी पर आदेश की दिनांक से 45-90 दिन के अन्दर करना होगा।
3. संयोजित साईंन बोर्डों एवम् होर्डिंगों के 01 वर्ष तक का अनुरक्षण एवम् रख-रखाव की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी, जिसमें कि प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति एवम् किसी भी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक पहुंचाई गई क्षति शामिल नहीं होगी।
4. साईंन बोर्डों एवम् होर्डिंगों की संख्या का निर्धारण राज्य प्राधिकरण द्वारा सफल निविदादाता के साथ विचार-विमर्श करके किया जायेंगा।
5. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म को इस क्षेत्र में 05 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।
6. निविदा फार्म की कीमत ₹0 500/- (रु0 पॉच सौ मात्र) है, जोकि राज्य प्राधिकरण के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किया जा सकता है। यदि फार्म राज्य प्राधिकरण की वेब-साइट से प्राप्त किया जाता है तो निविदा फार्म की कीमत डिमाण्ड ड्राफ्ट, पेय आर्डर या जमा पर्ची द्वारा अदा की जायेंगी, जोकि भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की होनी चाहिए।
7. सफल निविदादाता को आदेश दिये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण कार्य लागत का 10 प्रतिशत प्रतिमूलि धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी या एफ.डी.आर. 0 जोकि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की होनी चाहिए एवम् 01 वर्ष तक की अवधि तक मान्य हो, राज्य प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत करनी आवश्यक है।
8. प्रस्तुत निविदादाता को सरकारी कार्यालयों/विभागों में साईंन बोर्डों एवम् होर्डिंगों को तैयार करने एवम् संयोजित करने का अनुभव होना चाहिए।
9. निविदादाता की वार्षिक टर्न ओवर कम से कम 50 लाख होनी चाहिए।
10. निविदादाता को प्रस्तुत निविदा के साथ ₹0 20,000/- (रु0 बीस हजार मात्र) की धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर./एन.एस.सी./बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो सदस्य संघिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के पक्ष में बन्धक हो, लगाया जाना अनिवार्य होगा।

✓

11. फर्म का ट्रेड टैक्स विभाग का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तथा रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जानी है।
12. आयकर विभाग का पैन कार्ड की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है।
13. सामग्री की गुणवत्ता में किसी प्रकार का दोष व कमी आने पर प्रतिभूति धनराशि में से कटौती की जायेगी।
14. किसी भी विवाद अथवा परिस्थिति में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
15. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय, नैनीताल होगा।

*Anurag*  
04.05.13  
सदस्य सचिव,  
उत्तराखण्ड प्राप्रा., नैनीताल।